



# पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

कोनी - बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009 दूरभाष क्रमांक : (07752 - 240712)  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

[www.pssou.ac.in](http://www.pssou.ac.in) E-mail-[registrar@pssou.ac.in](mailto:registrar@pssou.ac.in)

## कम्यूनिटी रेडियो अनुबंध

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय के अकादमिक व्याख्यान, प्रवेश-सूचना, परीक्षा एवं परिणाम व अन्य जानकारियों को शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए अरपा कम्यूनिटी रेडियो के साथ अनुबंध संलग्न है।


  
क्राइटेरिया प्रभारी

**VERIFIED**



**REGISTRAR**

Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

  
**Dr. Sanjiv Kumar Lavania**  
Incharge NAAC Criteria-V  
PSSOU, CG Bilaspur





छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

N 482563


### अनुबंध - पत्र

यह अनुबंध प. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव तथा अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर की ओर से डायरेक्टर संज्ञा टंडन के मध्य किया जा रहा है यह अनुबंध 22/10/2020 को निम्न शर्तों के अधीन प्रभावशाली होगा :-

- यह कि पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय के अकादमिक व्याख्यान, प्रवेश के लिए सूचना, विश्वविद्यालय की परीक्षा एवं परिणाम व अन्य जानकारियों का जो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अथवा प्रवेगित छात्र-छात्रों को दिये जाने के लिए अरपा कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारण किया जाएगा। इस प्रसारण कार्य का प्रतिघण्टा रु 1000/- और महिने में अधिकतम 20,000 रु. मात्र पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा अरपा रेडियो को प्रदाय किया जावेगा।
- प्रसारण का समय दिन में घण्टा (दोपहर - 12.00 से 01.00 बजे तक) किया जावेगा। प्रसारण एक महिने में अधिकतम 20 दिन के लिए होगा। यह अनुबंध होने की तिथि से 05 माह तक के लिए किया जा रहा है। आवश्यक होने पर सेवा अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में कार्यपरिषद द्वारा निर्णय लिया जावेगा।
- यह कि कार्यक्रमों की रिकार्डिंग एवं एडिटिंग अरपा रेडियो के द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा सम्पन्न की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा अरपा रेडियो के संसाधनों के उपयोग का ही (अधिकतम रु 20,000/-) राशि प्रदाय किया जायेगा।
- कोई भी पक्ष इस अनुबंध को एक माह की पूर्व सूचना पर ही समाप्त कर सकता है। आखिरी में किसी भी विवाद की स्थिति में पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

पक्षकार क्रं. 

1. ....  
2. ....

पक्षकार क्रं. -2 



**VERIFIED**

LIBRA WELFARE SOCIETY  
BILASPUR (C.G.)






**REGISTRAR**  
Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

गवाह

1.  

2. ....  
गवाह

1.   
2.  Reshambhai Powartham,  
Asst. Prof., PSSOU Chhattisgarh

  
**Dr. Sanjiv Kumar Lavania**  
Incharge NAAC Criteria-V  
PSSOU, CG Bilaspur